

2206
2

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 222/
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 27/09/2025

श्रीमती रश्मि बागरी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित आरसीएसए क्रमांक-1600077/2014 रामकली सिंह बनाम श्यामा सिंह वगै० में दावा का मूल्य 797000/- रुपये होने एवं कार्य विभाजन पत्रक अनुसार 5 लाख 01 रुपये से 01 करोड़ रुपये तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती रश्मि बागरी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित आरसीएसए क्रमांक-1600077/2014 रामकली सिंह बनाम श्यामा सिंह वगै० को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्रीमती शिवानी शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 4801/
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 27/09/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की ओर आरसीएसए क्रमांक-1600077/2014 रामकली सिंह बनाम श्यामा सिंह वगै० मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

20/9/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)